तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज बाबूलाल Vs जगदीश 19/फरवरी/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31 1/25	पत्रावली पेश। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 21.03.2025 को पेश हो।	
21 3/25	पत्रावली पेश वकील पक्षकारान उपस्थित है। बहस अन्तिम सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांकः—27.03.2025 को पेश हो।	
27 3/25	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि विवादित भूमियॉ हमारी सहखातेदारी की भूमियॉ है। उक्त भूमियों के सहखातेदार बच्चीबाई व देवलाल की मृत्यु हो चुकी है जिनके विधित वारिस प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 है। वादग्रस्त भूमि में निहित देवलाल व बच्चीबाई के हिस्से की भूमि का फोती नामान्तकरण अभी नहीं खुला है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अन्तर्गत उनके वारिस स्वतः ही खातेदार बन गए है। प्रार्थीगण ने फोती नामान्तकरण खोलने हेतु तहसीलदार हिण्डोली के यहॉ निवेदन किया परन्तु उनके द्वारा व्यस्तता बताकर इन्कार कर दिया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 में ने भी बंटवारा कराने से इन्कार कर दिया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण के हिस्से व खाते की भूमि में दखलअंदाजी की जा रही है व बिना बंटवारे के ही भूमियों को रहन बेचान करने पर आमादा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को रहन, बेचान व कब्जेकाश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद किया जावे। खण्डन में वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने कथन किया कि हमारे द्वारा भूमि बेचान करने की धमकी नहीं दी गई है। हम अपने हिस्से की भूमि के बेचान करने के अधिकारी है। सहखातेदार के विरूद्ध स्थगन नहीं दिया जा सकता है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। वकील पक्षकारान द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन कर पत्रावली का अवकलोकन किया गया। विवादित भूमियां प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमियॉ है जिन पर सभी पक्षकारों का समान रूप से अधिकार है एक सहखातेदार अपने हिस्से की भूमि का बेचान करने हेतु विधि से वर्जित नहीं है एवं सहखातेदारी भूमि में स्थगन दिया जाना भी न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थीगण ने भी ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किए हो जिससे कि उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित	

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

P.T.O.

तारीख हुक्म _	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म की में जारी
	उनके हिस्से की भूमि पर दखलंदाजी व रहन, बेचान करने तथ्यों की पुष्टि हो। प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बन रहा है एवं सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। प्रार्थीगण को कोई अपूर्णीय क्षति की संभावना भी प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रार्थना प्रार्थीगण उपरोक्त विवेचन के आधार पर पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	